रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012026-269343
CG-DL-E-14012026-269343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947
No. 184] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 194(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, "वेस्ट बंगाल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड" (पैन AAALW0061D), जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत संगृहीत उपकर;

(ख) बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से एकत्रित पंजीकरण शुल्क तथा वार्षिक अंशदान;

(ग) सरकार से अनुदान सहायता एवं ऋण के रूप में प्राप्त राशि;

(घ) निवेश से प्राप्त ब्याज से होने वाली आय।

2. यह अधिसूचना पश्चिम बंगाल भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को इन शर्तों के साथ प्रभावी होगी–कि

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां तथा निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2022-23, 2023-24, 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्षों 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 7 /2026/फा. सं. 300196/24/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव [सीबीडीटी/विभाग के समक्ष आवेदन दाखिल करने के वर्ष से] देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 194(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "West Bengal Building and Other Construction Workers Welfare Board" (PAN AAALW0061D), a Board constituted by the Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:-

(a) Cess collected under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and the rules thereunder;

(b) registration fees and yearly subscription collected from construction workers registered with the Board as beneficiaries;

(c) amount received in the form of grants-in-aid and loan from Government;

(d) Interest income received from investment.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that West Bengal Building & Other Construction Workers Welfare Board –

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26, relevant to financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, and shall be applicable for assessment years 2026-27 relevant to financial years 2025-26.

[Notification No. 7 /2026/F. No.300196/24/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (from the year of filing of application before CBDT/Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA